

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

Phone No. 0744- 2330823

E-mail :- dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ() निरी० / उवस / मु.रा.उ. / 2016-17 /

दिनांक :

साईट निरीक्षण बोराबास-मण्डाना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कोटा, राजस्थान दिनांक 11.08.2016

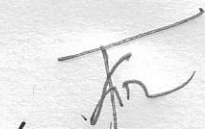
दिनांक 11.08.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, बोराबास श्री संजय शर्मा, यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधी सहायक अभियंता श्री हेमन्त सनाड्य के साथ बोराबास-मण्डाना वाटर सप्लाई परियोजना का जो हिस्सा मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के अधीन पडता है, का निरीक्षण किया गया। इस परियोजना की वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 02.06.2015 द्वारा शर्तों के साथ जारी की गई। शर्तों की पालना यूजर एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित की जानी है। निरीक्षण एवं यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार आवेदित क्षेत्र में से 0.86 हैक्टेयर क्षेत्रफल मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बफर एरिया की वन भूमि है। परियोजना के अनुसार इस क्षेत्र में पाईप लाईन डाला जाना प्रस्तावित है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस पाईप लाईन डालने में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्र न्यूनतम तथा अपरिहार्य (Unavoidable) है। प्रस्तावित क्षेत्र मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पडता है। जिसमें कार्य करने की पूर्वानुमति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से दिनांक 02.06.2015 को प्राप्त हो चुकी है तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) भारत सरकार की रिपोर्ट (Office Memorandum) दिनांक 05.04.2016 एवं वन, पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय (Wildlife Division) द्वारा दिनांक 07.04.2016 को Finalization of the water supply agumentation plan in consultation with the field director Mukandra Hills Tiger Reserve for allowing the user agency to start work at earliest की शर्त के साथ अनुमति जारी की गई।

फील्ड डायरेक्टर मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व एवं मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, कोटा द्वारा यूजर एजेन्सी को Agumentation Plan के तहत केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट हेतु 20.00 लाख रुपये राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसाईटी में जमा कराने हेतु लिखा गया। राशि जमा कराना अपेक्षित है। आवेदित क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्विक/विरासत साईट/सैन्य क्षेत्र या अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित नहीं है। यूजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है, न ही बिना सक्षम स्वीकृति कार्य प्रारम्भ किया गया।

डायवर्जन भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि वनमण्डल कोटा के क्षेत्राधिकार में आती है।

स्थान : कोटा

दिनांक : 11.08.2016



(एस० आर० यादव)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा